न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा
पीठासीन अधिकारी– श्री मुकेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
45 / 2022 / वाद पत्र	03.06.2022	06.02.2024

उनवान

देवराज पुत्र माधु जाट निवासी जुवरों का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1. मु. ठम्मु पत्नी माधु जाट निवासी जुवारों का खेड़ा तहसील शाहपुरा
2. मु. लीला पुत्री माधु जाट निवासी जुवारों का खेड़ा तहसील शाहपुरा
3. तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : वास्ते इन्द्राज दुरस्ती

उपस्थितः– श्री कमेलश कुमार मुण्डेतिया :– अभिभाषक – वादी

निर्णय

उनवानी मामले में वाद पत्र वास्ते इन्द्राज दुरस्ती का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है –वादी का नाम देवराज जाट है और वादी का नाराण नाम से भी पुकारा जाता है। ग्राम जुवरों का खेड़ा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा में वादी एवं सह खातेदारान प्रतिवादी सं. 01 व 02 के संयुक्त खातेदारी की आराजियात आराजी नम्बर 126 रकबा 1.34 है0, 87 रकबा 1.21 है0 स्थित है। वाद पत्र के पैरा सं. 02 में वर्णित उक्त आराजियात पुश्तैनी होकर पूर्व में वादी व प्रतिवादी सं. 01 व 02 के पिता व पति के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी एवं पूर्व खातेदार माधु की मृत्यु के बाद विरासत से जब खातेदारी दर्ज की गयी उस समय गलती से वादी का नाम बोलता नाम खातेदारी में नारायण दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम नाराण नहीं होकर रेकार्डेड नाम देवराज है। जिसकी तायद आधार कार्ड, स्कूल की मार्कशीट आदि से होती है। वादी का नाम देवराज पिता माधु जाट ही है। तथा ग्राम जुवरों का खेड़ा में नाराण पिता माधु जाट का कोई व्यक्ति ही नहीं है। चूंकि वादी का नाम देवराज जाट है और खातेदारी में बोलता नाम नाराण जाट दर्ज कर दिया इस कारण वादी को काफी समस्यओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वादी को किसी प्रकार से सरकारी लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए राजस्व रेकार्ड में खातेदारी में नाराण के स्थान पर देवराज पिता माधु जाट दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी सं. 03 लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है ओर उक्त नाम की दुरूस्ती इनके द्वारा की जानी है इसलिए पक्षकार बनाए गये है। अतः वादी के पक्ष में व प्रतिवादी सं. 03 के विरूद्ध इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पेरा सं. 02 में वर्णित आराजी की खातेदारी में नाराण पिता माधु जाट के स्थान पर देवराज पुत्र माधु जाट किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 11.07.2022 को प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 02 स्वयं उपस्थित हुए एवं इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रकरण जवाब पेरोकार के नियत किया गया। दिनांक 06.02.2024 को पेरोकार सरकार द्वारा राज्यहित प्रभावित नहीं होने से जवाब अपेक्षित नहीं होना लिखा गया। अभिभाषक वादी द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ही आदेश पारित किये जाने हेतु इस्तदुआ की। जिससे प्रकरण में अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी। बहस में अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज)

हुए निवेदन किया कि वादी के पुश्तैनी हक अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम जुवारों का खेड़ा पटवार हल्का प्रतापपुरा में स्थित है। वादी के पिता माधु की मृत्यु के पश्चात विरासत दर्ज करते समय वादी का बोलता नाम नाराण राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का वास्तवित नाम देवराज था। एवं वादी के अन्य महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मार्क शीट आदि में वादी का नाम देवराज अंकित है। सभी दस्तेवजात संलग्न है। श्रीमान के निवेदन है कि पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए ग्राम जुवारों का खेड़ा पटवार हल्का प्रतापपुरा में स्थित वाद पत्र के पैरा सं0 02 में वर्णित आराजियात का वादी नाम नाराण पुत्र माधु जाट के स्थान पर देवराज पुत्र माधु जाट दुरूस्त कराये जाने की कृपा करावें।

बहस मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, एवं अन्य रेकार्ड को देखा। अतः प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं अन्य रेकार्ड आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्क शीट, बैंक पासबुक एवं राशन कार्ड के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

—:: आदेश ::—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है कि :—

वाके ग्राम जुवारों का खेड़ा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 126 रकबा 1.34 है0, 87 रकबा 1.21 है0 में दर्ज सहखातेदार वादी का नाम नाराण पुत्र माधु के स्थान पर देवराज पुत्र माधु राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष इद्राज यथावत रहगें। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

देवराज पुत्र माधु जाट निवासी जुवरों का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1. मु. ठम्मु पत्नी माधु जाट निवासी जुवारों का खेड़ा तहसील शाहपुरा
2. मु. लीला पुत्री माधु जाट निवासी जुवारों का खेड़ा तहसील शाहपुरा
3. तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : वास्ते इन्द्राज दुरस्ती

मुकदमा नम्बर 45 सन् 2022 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम जुवारों का खेड़ा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 126 रकबा 1.34 है0, 87 रकबा 1.21 है0 में दर्ज सहखातेदार वादी का नाम नाराण पुत्र माधु के स्थान पर देवराज पुत्र माधु राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 06 माह 02 सन् 2024** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा